

Final NOC

NOC Application has been approved successfully !!!

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/62486/MZN/MUZAFFARNAGAR/487/CFO

दिनांक : 24-09-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL पता 695M 2 AND 695M 3, VILLAGE JASOI THANABHAWAN ROAD, MUZAFFARNAGAR तहसील - SADAR प्लाट एरिया 8201.16 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1820.55 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
KASTURI DEVI	2	0	9.60 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 25-09-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ARVIND KUMAR के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 28-09-2022 से 27-09-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : एफएसएसओ मूजफ्फरनगर की संस्तुति आख्या पर एनओसी निर्गत की गई है एवं आवेदक / प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था/जीव रक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे, निकास द्वार और सेटबैक को सदैव अवरोध मुक्त रखेंगे तथा कोई भी निर्माण करने से पूर्व प्रोविजनल एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर

निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"